संख्या-33/2016/1218ई-2/तेरह-2016-53/2013

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक 13 जून,2016

विषय:- मेसर्स मोदी आसवनी, गाजियाबाद की अधिष्ठापित क्षमता 48.425 लाख लीटर से बढाकर 99.00 लाख लीटर वार्षिक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1765/दो-प्रा0डी0-45, दिनांक 28 अगस्त,2008, पत्र संख्या-जी-93/दो-प्रा0डी0-45, दिनांक 27 अक्टूबर,2014, पत्र संख्या-जी-160/दो-प्रा0डी0-45, दिनांक 23 मार्च,2015 तथा पत्र संख्या-जी-17/दो-प्रा0डी0-45, दिनांक 16 मई,2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं की गई संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स मोदी आसवनी, गाजियाबाद की अधिष्ठापित क्षमता 48.425 लाख लीटर से बढाकर 99.00 लाख लीटर वार्षिक करने की अनुमति एतद्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि बढी हुई क्षमता का उपयोग केवल औद्योगिक उत्पादन हेतु अनुमन्य होगा। अधिष्ठापित क्षमता विस्तार के लिये प्लाण्ट मशीनरी स्थापित करने हेतु वांछित फण्ड्स की व्यवस्था अपनी सह इकाई से करने का दायित्व आसवक का होगा।

कृपया तद्नुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in